संख्या 20/2015/सीपी 558/84-2-2015-सीपी 22/88

प्रेषक,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2015

विषय उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित पदों का सततीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2779/एससीडीआरसी/अधि0 32/91-पार्ट-2, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित संलग्न सूची में उल्लिखित अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-48/सीपी 466/84-2-2013-सीपी 22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा दी गई शर्तो पर दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक, यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ऊपर उल्लिखित पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक ''3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण'' के अंतर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-ए-2-2574/दस-98-24 (आठ)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

....2....

पृष्ठांकन संख्या- 20/2015/सीपी 588(1)/84-2-2015, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (निबन्धक, राज्य आयोग के माध्यम से)।
(3) मुख्य लेखाधिकारी, खाद्य आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तरप्रदेश (निबन्धक, राज्य आयोग के माध्यम से)
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) खाद्य एवं रसद अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) गार्ड बुक

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या - 20/2015/सीपी 558/84-2-2015-सीपी 22/88, दिनांक 08.09.2015 का संलग्नक

उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित पदों का सततीकरण

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा पद सृजित किये गये ।	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा अंतिम बार सततीकृत किये गये
1	2	3	4	5	6
1	जिला फोरम, बदायूं तथा प्रतापगढ जिला फोरम, मेरठ	वरिष्ठ सहायक अर्दली	02 01	सीपी 918/29-10-89-सीपी 10/89, दिनांक 26.12.1989	संख्या-48/सीपी 466/84-2-2013-सीपी 22/88, दिनांक 10.02.2014
2	जिला फोरम, अमेठी	वरिष्ठ सहायक	01	संख्या-सीपी 203/84-2-2012-सीपी 33/97, दिनांक 30.01.2013	तदैव
3	जिला फोरम, हापुड, शामली एवं सम्भल	वरिष्ठ सहायक	03	संख्या-सीपी 263/84-2-2013-सीपी 33/97, दिनांक 09.07.2013	तदैव
4	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	जमादार (रजिस्ट्रार हेतु)	01	सीपी2858/29-खा8-2002-सीपी 34 /93 टीसी दिनांक 18.01.2003	तदैव
5	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक अर्दली (आउट सोर्सिंग द्वारा) चपरासी(आउट सोर्सिंग द्वारा)	01 01 02 03	सीपी 21/84-2-2011- सीपी 11/ 2003, दिनांक 13.01.2011	तदैव
6	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	अर्दली (आउट सोर्सिंग द्वारा) चपरासी(आउट सोर्सिंग द्वारा)	04 06	सीपी 91/84-2-2012-सीपी 11/ 2003, दिनांक 21.05.2012	तदैव
7	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	08	70/सीपी 432/84 -2-2014-सीपी 49/97, दिनांक 21.11.2014 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है।	तदैव
		कुल योग	33		

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।